न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 192 / 2020

1. तुलना पुत्री नानकराम नाबालिग
2. जशोदा पुत्री नानकराम नाबालिग
   दोनों जाति रेगर निवासी मानगंज दलवाडा रोड ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता नानकराम पुत्र घीसूलाल
3. रेनू पुत्री अशोक नाबालिग
4. बिशाल पुत्र अशोक नाबालिग
5. अभिषेक अशोक नाबालिग
   समस्त जाति रेगर , निवासी 1141 रेगरान मौहल्ला पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर जरिये प्राकृतिक सरंक्षक पिता अशोक पुत्र रामपाल

..प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मदनपुरी गोस्वामी – प्रार्थीगण

श्री रामसिंह गुर्जर – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 03.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम अर्जुनपुरा जागीर भू– अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मांगलियावास तहसील पीसागंन जमाबदीं सवंत 2071 से 2074 के खाता संख्या 296 नया 289 पुराना के खसरा संख्या 120 , 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 की आराजीयात प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को उनकी माता के स्वर्गवास के पश्चात प्राप्त हुयी है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की माता इन्द्रा एंव 3 लगायत 5 की माता विमला के फौत होने के पश्चात उनका विरासती नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 9.9.2020 को प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा स्वीकृत किया गया लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये सजरा प्रमाण पत्र में पक्षकारान के बालिग अथवा नाबालिग होने की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी थी। जिससे उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को बालिग बताते हुए नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जिसके आधार पर उक्त नामान्तकरण संख्या 666 दिनांक 9.9.2020 को तस्दीक किया जाकर प्रार्थीगण का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। जबकि वर्तमान में प्रार्थीगण नाबालिग है। अतः दुरूस्ती फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं [illegible] वादी अपना वाद साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। [illegible] नाबालिग प्रार्थी न्यायालय में जरिये संरक्षक पिता उपस्थित । प्रार्थ[illegible] उनका [illegible] पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 16:15:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

स्वीकार करते हुए तसहीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम अर्जुनपुरा जागीर भू– अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मांगलियावास तहसील पीसागंन जमाबदीं सवंत 2071 से 2074 के खाता संख्या 296 नया 289 पुराना के खसरा संख्या 120 , 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 में प्रार्थीगण के आगे नाबालिग का अकंन किया जावे। साथ ही प्रार्थीगण ने अवगत करवाया कि उनकी माता का निधन हो चुका है केवल पिता ही संरक्षक बचे है तथा प्रार्थीगण को आराजी के माता के हिस्से से प्राप्त हुयी है अतः प्रार्थीगण के पिता को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का हित सुरक्षित रखें।**

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:28 IST
Reason: SelfAttested